न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

Eviction Appeal No-30/2025

रूबी देवी वगैरह

बनाम्

आनन्द कुमार वगैरह

–: आदेश :–

15.05.2025

वर्तमान वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी रूबी देवी पति–समीर उरांव वो अनिता देवी पति–महेश उरांव वो अनिता देवी पति–आशिष उरांव वो लाला देवी पति–जोखन उरांव वो कुंवारी देवी पति–चैतु उरांव वो महेशवारी देवी पति–सोमा उरांव वो चैतु उरांव पिता–स्व0 भुरंगा उरांव वो बालदेव उरांव पिता–स्व0 चमरा उरांव वो महेश उरांव पिता–स्व0 मांगु उरांव वो तेतरा उरांव पिता–स्व0 फकिरा उरांव सभी निवासी हिसरी, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के भू–वापसी वाद संख्या–01/2023 में दिनांक 23.05.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध U/s-5 of Limitation Act. के तहत् समर्पित अपील आवेदन के आलोक में वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा पक्षकारों को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी द्वारा दाखिल भूमि–वापसी वाद संख्या–01/2023 में निचली अदालत में बहस नहीं सुना गया, जबकि दोनो पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया गया है कि मौजा–हिसरी के खाता संख्या–62 प्लॉट–870, 864, 868 एवं 865 रकबा–1.10 एकड़ एवं अन्य भूमि के गत सर्वे खतियान बंधु पुजार के नाम पर दर्ज है। अपीलार्थीगण खतियानी रैयत के वंशज है तथा भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में चले आ रहे है। विपक्षी द्वारा निचली अदालत में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71 के अन्तर्गत दाखिल वाद पोषणीय (Maintainable) नहीं है, क्योंकि विपक्षीगण द्वारा बेदखली का तिथि अंकित नहीं किया गया है। निचली अदालत विपक्षीगण द्वारा

तथ्य छुपाकर दाखिल वाद पर कानून के विशिष्टियों के विरूद्ध आदेश पारित किया गया और उसे छुपाकर रखा गया। विपक्षीगण द्वारा अचानक अपीलार्थीगण के लगाये गये अरहर के फसल को जे0सी0बी0 मशीन से नष्ट करने का प्रयास किया गया। विपक्षीगण का दावा है कि उन्होंने हाल सर्वे खतियानी रैयत भगवान दास के पुत्र उमेश अग्रवाल से भूमि क्रय किया गया है, जबकि छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार आदिवासी खाते की भूमि को गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा हाल सर्वे खतियान को त्रुटिपूर्ण माना गया है, जिसे पुनः सर्वे कर सुधार हेतु वर्ष 2019 में अधिसूचना निर्गत किया गया है।

गत सर्वे खतियान अपीलार्थीगण के पूर्वज बंधु पुजार के नाम से दर्ज है, जो गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं हो सकता है। साथ हीं आदिवासी खाते की भूमि को बिना उपायुक्त के आदेश के इस्तिफानामा मान्य नहीं हो सकता है। निचली अदालत द्वारा कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर कानून के विपरीत आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा अपने अधिकार कब्जे और टाईटल को कई दस्तावेज से साबित किया गया है। दूसरी और प्रतिवादी के पास अपील के तहत् न तो अधिकार है और न ही प्रासंगिक दस्तावेज है। इसलिए अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के न्यायालय द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–01/2023 में दिनांक 23.05.2023 को पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा सम्यक सुनवाई के उपरान्त आदेश पारित किया गया है, जो कानून सम्मत है। अपीलार्थी द्वारा जान बुझकर परेशान करने के उद्देश्य सें लम्बे अन्तराल (18 माह) के बाद अपील दायर किया गया है, जबकि अपीलार्थीगण को उक्त भूमि से किसी प्रकार का वास्ता–सरोकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि मौजा हिसरी के हाल सर्वे खाता 62 प्लॉट संख्या 870 रकबा 0.25 एकड़, प्लॉट संख्या 864 रकबा 0.51 एकड़, प्लॉट संख्या 868 रकबा 0.12 एकड़ एवं प्लॉट संख्या 865 रकबा 0.22 एकड़ कुल रकबा 1.10 एकड़ भूमि निबंधित केवाला से दिनांक

2b/

20.03.2021 को क्रय किया गया है, जिसका दाखिल–खारिज वाद संख्या–721/2021–2022 से नामान्तरण से लगान रसीद निर्गत होते आ रहा है तथा भूमि पर दखल कब्जा चला आ रहा है। चाहरदिवारी निर्माण के क्रम में कुछ भाग पर अपीलार्थीगण द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण प्रतिवादी द्वारा निम्न न्यायालय में भू–वापसी वाद संख्या–01/2023 दाखिल किया गया था, जिसमें विपक्षी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया।

सर्वप्रथम खतियानी रैयत के इस्तीफा के बाद जादो राम अग्रवाल को बंदोबस्ती से प्राप्त हुआ। जादो राम अग्रवाल उक्त भूमि के साथ–साथ अन्य भूमि की बिक्री निबंधित केवाला से दिनांक 18.01.1969 को मेसर्स दीन दयाल जलान, चंदवा के साथ किया गया तथा अंचल कार्यालय चंदवा द्वारा लगान रसीद निर्गत किया गया। दीन दयाल जलान के प्रोपराईटर के ललीत कृष्ण जलान पिता श्री किशोरी लाल जलान राँची द्वारा निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक 06.02.1974 को जोसेफ रत्नागर, जॉर्ज वर्गीज, सरस्वती सुब्रमनियम के साथ बिक्री कर दिया गया। उक्त तिनों व्यक्तियों के नाम से नामान्तरण होकर मालगुजारी रसीद निर्गत होने लगा। जोसेफ रत्नागर, जॉर्ज वर्गीज, सरस्वती सुब्रमनियम द्वारा उक्त भूमि को निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक 03.05. 1976 को भगवान दास वासिया एवं महावीर दास वासिया के साथ बिक्री किया गया, जिसका नामान्तरण होकर भगवान दास वासिया एवं महावीर दास वासिया के नाम से लगान रसीद जारी किया गया। हाल सर्वे के दौरान भगवान दास वासिया वगैरह का वैध दखल–कब्जा एवं दस्तावेज के आधार पर भगवान दास वासिया के नाम पर हाल सर्वे खतियान प्रकाशित हुआ तथा ऑनलाईन रसीद निर्गत हो रहा है। भगवान दास वासिया के मृत्योपरान्त उनके एक मात्र पुत्र उमेश वासिया उक्त भूमि के दखल–कब्जा में आये तथा दिनांक 20.03.2021 को निबंधित केवाला के माध्यम से विपक्षीगण को भूमि बिक्री किये। खरीदगी के बाद क्रेतागण का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा चला आ रहा है। अपीलार्थीगण द्वारा हाल सर्वे खतियान एवं केवाला को कभी भी चुनौती नहीं दिया गया है और न हीं विपक्षीगण के जमाबंदी को अपने नाम से कायम कराने

का प्रयास किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा करीब 80–85 वर्षों के बाद भूमि पर दावा करना विधि विरूद्ध एवं गलत है। उक्त आलोक में अपीलार्थीगण के अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि का गत सर्वे खतियान अनुसूचित जनजाति तथा हाल सर्वे खतियान गैर अनुसूचित जनजाति के नाम पर प्रकाशित है। उक्त प्रकाशित खतियान की वैद्यता का निर्धारण हेतु यह न्यायालय सक्ष्म प्राधिकार नहीं है। साथ हीं अनुसूचित जनजाति से गैर अनुसूचित जनजाति के लिए प्रकाशित खतियान की वैद्यता सक्षम न्यायालय से निर्धारण के पश्चात् दखल–कब्जा प्रत्यावर्तित करना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलतः वाद की कार्यवाही समाप्त करते हुए अधिकारी, चन्दवा को आदेश दिया जाता है कि सक्षम न्यायालय द्वारा हाल सर्वे की वैद्यता का निर्धारण के उपरान्त दखल कब्जा प्रत्यावर्तित करने की कार्रवाई करेंगे।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by UTKARSH GUPTA
Date: 2025.08.28 15:44:41 +05:30
Location: 192.168.137.1